

राजस्थान सरकार  
वित्त विभाग  
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(71)वित्त-1(1)आय.व्य / 2015

जयपुर, दिनांक : 03/06/16

स्वीकृति संख्या:- 73/2016-17

कोषाधिकारी,  
उदयपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में राशि रुपये 867.94 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1(6) सीटीएडी/स्वच्छ/प्रस्ताव/जकनि/2016-17 स्वीकृति सं. 10/2016-17 दिनांक 25.05.2016 राशि रुपये 656.00 लाख, स्वीकृति संख्या 11/2016-17 दिनांक 26.05.2016 राशि रुपये 192.94 एवं स्वीकृति संख्या 09/2016-17 दिनांक 25.05.2016 राशि रुपये 19.00 में अंकित शर्तों के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी.खाते में कुल राशि रुपये 867.94 लाख (अक्षरे रुपये आठ करोड़ सड़सठ लाख चौरानवें हजार) मात्र निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावे।

मांग संख्या -30

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण	
02 - अनुसूचित जन जातियों का कल्याण	(राशि लाखों में)
796 - जनजातिय क्षेत्र उपयोजना	
(09) - जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जकनि)	
[04] - जन स्वास्थ्य हेतु सहायता	
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	राशि रु. 656.00 लाख
[26] - कथौड़ी विकास परियोजना	
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	राशि रु. 19.00 लाख
(21) - माडा जनजाति क्षेत्र विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (जकनि)	
[12] - माँ-बाड़ी केन्द्रों का संचालन	
12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन) (आयोजना)	राशि रु. 192.94 लाख
	<u>योग- 867.94 लाख</u>

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

*-sel-*

(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखापरीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-II) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (संयुक्त निदेशक), वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

*Wah*

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)